न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, सहरसा।

अनुसूची 14– फारम संख्या 562, राज्य।

बनाम

स्पलेण्डर प्लस मोटर साईकिल रजि0 नं०– BR-43S-6878

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

जिला– सहरसा, केस संख्या–484/2020–21,

केस का प्रकार– बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियिम 2016, के तहत जप्त शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त स्पलेण्डर प्लस मोटर साईकिल रजि0 नं०– BR-43S-6878 के अधिहरण (confiscation) करने के संबंध में।

ओदश की क्रम संख्या एवं तिथि.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तिथि सहित।
1	2	3
	–: आदेश :– प्रस्तुत वाद की कार्यवाही का प्रारंभ पुलिस अधीक्षक, सहरसा के पत्रांक 3083/हि०शा०, दिनांक 29.08.2020 के आलोक में किया गया है। प्राप्त पत्र के साथ संलग्न प्रस्ताव बसनही थाना कांड संख्या– 54/2020 में जप्त शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त स्पलेण्डर प्लस मोटर साईकिल रजि0 नं०– BR-43S-6878 के अधिहरण से संबंधित है। बसनही थाना कांड संख्या– 54/2020, घटना का स्थान– सहसौल बाजार स्थित, घटना की तिथि– 11.06.2020 के संबंध में पुलिस द्वारा प्रतिवेदित घटना की संक्षिप्त विवरणी यह है कि– यह काण्ड वादी पु०अ०नि० श्वेत कमल थानाध्यक्ष बसनही के पद पर जिला सहरसा में पदस्थापित हैं, द्वारा लिखित ब्यान के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त गौरी मंडल पे0 शंभू मंडल सा0 सहसौल थाना बसनही जिला सहरसा के विरूद्ध देशी शराब रखने के आरोप में अंकित किया गया है। अबतक के अनुसंधान जप्त प्रदर्श एवं पर्यवेक्षण में आये तथ्यों एवं साक्षों से यह कांड मूल धाराओं के अन्तर्गत नामजद प्राथमिकी अभियुक्त गौरी मंडल के विरूद्ध सत्य पाया गया है तथा आरोप पत्र हेतु प्रर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। कांड अनुसंधान अन्तर्गत है। कांड में जप्त प्रदर्श देशी महुआ शराब कुल 2.4 लीटर में से 1.2 लीटर उत्पाद अधीक्षक महोदय सहरसा को जाँच हेतुअ भेजा जा चुका है शेष बचे 1.2 लीटर एवं एक काला रंग का स्पलेण्डर प्लस मोटर साईकिल जिसका इंजन नं0 HA10AGLHAE1300 चैचिस नं0 MBLHAW083LHA53793 को थाना मालखाना में सुरक्षार्थ रखा गया है। जिसे वरीय पदाधिकारी महोदय के आदेश के आलोक में विनष्टिकरण/अधिग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया है।	

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि जप्त शेष बचे 1.2 लीटर देशी महुआ शराब को विनष्टीकरण एवं जप्त मोटर साईकिल का अधिग्रहण हेतु आदेश देने की कृपा की जाय।"

उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस वाद के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ कर जप्त शराब के विनष्टीकरण हेतु दिनांक 15.09.2020 को आदेश दिया गया एवं जप्त स्पलेण्डर प्लस मोटर साईकिल रजि0 नं०– BR-43S-6878 के अधिहरण के बिन्दु पर वाहन मालिक को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया।

वाहन मालिक रणवीर सिंह पिता– राणाप्रताप सिंह, साकिन– सहसौल, थाना–बसनही जिला– सहरसा का कहना है कि वे जप्त वाहन स्पलेण्डर प्लस मोटर साईकिल रजि0 नं०– BR-43S-6876 जिसका इंजन नं0 HA10AGLHAE1300 चैचिस नं0 MBLHAW083LHA53793 के स्वामी हैं।

इनका आगे कहना है कि घटना की वास्तविकता यह है कि वे प्राथमिक विद्यालय सहसौल के निकट अपना मोटर साईकिल खड़ा कर किराना सामान लेने गए थे तो पुलिस द्वारा बिना किसी सूचना व स्वतंत्र गवाह के उक्त गाड़ी को जप्त कर लिया गया। जप्त गाड़ी से कोई भी अवैध सामान नहीं बरामद हुआ है। इनके ओर से मुख्यतः इन्हीं तथ्यों के साथ स्वयं को निर्दोष बताकर जप्त मोटर साईकिल को मुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) का कथन है कि चूँकि जप्त वाहन को अवैध शराब के साथ जप्त किया गया है। अतः विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) द्वारा, पुलिस अधीक्षक सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन/प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत जप्त वाहन को अधिहरित किये जाने का अनुरोध किया गया।

वाहन मालिक के साथ राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) को विस्तार से सुना।

चूँकि जप्त वाहन में बहुत ही कम मात्रा में अवैध शराब की बरामदगी की गयी है। ऐसी स्थिति में कड़ी चेतावनी देते हुए इस वाहन स्पलेण्डर प्लस मोटर साईकिल जिसका इंजन नं0 HA10AGLHAE1300 चैचिस नं0 MBLHAW083LHA53793 को इस शर्त के साथ विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि अगर पुनः इस वाहन से अवैध शराब परिवहन का मामला प्रतिवेदित होता है तो कठोर कार्रवाई की जायेगी। संबंधित थानाध्यक्ष बसनही को मुक्ति आदेश निर्गत करे।

इसी के साथ अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

समाहर्त्ता
सहरसा।

समाहर्त्ता
सहरसा।

ज्ञापांक 1070 /न्याया०,   सहरसा, दिनांक - 23.12.20

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

23.12.20
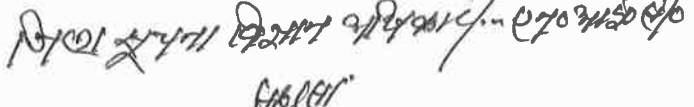
प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
23.12.20